

दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, 1962

- **दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, 1962 में पंजीयन कराने की प्रक्रिया क्या है?**
अधिनियम में पंजीयन/ नवीनीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से पूर्ण होती है। सम्पूर्ण प्रक्रिया <http://uplabour.gov.in/StaticPages/RRPDList.aspx> लिंक पर उपलब्ध है ।
- **दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अंतर्गत क्या शुल्क प्राविधानित है?**
अधिनियम में शुल्क की गणना कार्य के प्रकार तथा प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के आधार पर होती है। शुल्क चार्ट <http://uplabour.gov.in/StaticPages/TimelineOfRR.aspx> पर उपलब्ध है ।
- **शुल्क जमा करने के क्या प्रकार हैं?**
शुल्क का भुगतान निवेश मित्र पोर्टल पर इन्टरनेट बैंकिंग/ डेबिट/ क्रेडिट कार्ड इत्यादि माध्यम से किया जा सकता है ।
- **पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की समय सीमा क्या है?**
सम्बंधित अधिनियम में पंजीकरण/ नवीनीकरण की व्यवस्था पूर्णतया स्वचालित है तथा शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान के पश्चात् सिस्टम द्वारा ही 1-3 कार्य दिवसों में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
- **अकाउंट से शुल्क कट जाने के उपरान्त पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत न होने पर क्या करें?**
यदि शुल्क भुगतान के उपरान्त भुगतान की स्थिति पेंडिंग दिख रही हो तो निवेश मित्र पोर्टल पर "Reconcile Your Consolidated Payment By Double Verification Mode" ऑप्शन पर जा कर पेमेंट वेरीफाई करें । तत्पश्चात सिस्टम द्वारा ही 1-3 कार्य दिवसों में प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा ।
- **प्रमाण पत्र का सत्यापन कैसे करें?**
प्रमाण पत्र का सत्यापन <http://uplabour.gov.in/StaticPages/VerifyRegistrationNo.aspx> द्वारा किया जा सकता है ।

संविदा श्रम अधिनियम,1970

- **संविदा श्रम अधिनियम,1970 में पंजीयन कराने की क्या प्रक्रिया है?**
अधिनियम में पंजीयन/ लिसेंसिंग/ नवीनीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से पूर्ण होती है। सम्पूर्ण प्रक्रिया <http://uplabour.gov.in/StaticPages/RRPDList.aspx> लिंक पर उपलब्ध है |
नोट: यदि ठेकेदार द्वारा 50 अथवा 50 से अधिक संविदा श्रमिक किसी प्रतिष्ठान में लगाये जाते हैं, संविदाकार तथा ठेकेदार दोनों को **संविदा श्रम अधिनियम,1970** में पंजीकरण/ लिसेंसिंग लेना आवश्यक है।
- **संविदा श्रम अधिनियम,1970 में पंजीकरण/ लिसेंसिंग की क्या शुल्क प्राविधानित है?**
अधिनियम में शुल्क की गणना तथा प्रतिष्ठान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की संख्या के आधार पर होती है। शुल्क चार्ट <http://uplabour.gov.in/StaticPages/TimelineOfRR.aspx> पर उपलब्ध है |
- **शुल्क जमा करने के क्या प्रकार हैं?**
शुल्क का भुगतान निवेश मित्र पोर्टल पर इन्टरनेट बैंकिंग/ डेबिट/ क्रेडिट कार्ड इत्यादि माध्यम से किया जा सकता है |
- **पंजीकरण प्रमाण पत्र/ लिसेंसिंग जारी होने की समय सीमा क्या है?**
सम्बंधित अधिनियम में पंजीकरण/ नवीनीकरण की व्यवस्था पूर्णतया स्वचालित है तथा शुल्क के सफलतपूर्वक भुगतान के पश्चात् सिस्टम द्वारा ही 1-3 कार्य दिवसों में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
- **अकाउंट से शुल्क कट जाने के उपरान्त पंजीकरण प्रमाण पत्र/ लिसेंसिंग निर्गत न होने पर क्या करें?**
- यदि शुल्क भुगतान के उपरान्त भुगतान की स्थिति पेंडिंग दिख रही हो तो निवेश मित्र पोर्टल पर "Reconcile Your Consolidated Payment By Double Verification Mode" आप्शन पर जा कर पेमेंट वेरीफाई करें | तत्पश्चात सिस्टम द्वारा ही 1-3 कार्य दिवसों में प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा |
- **प्रमाण पत्र/ लिसेंसिंग का वेरिफिकेशन कैसे करें?**
प्रमाण पत्र का सत्यापन <http://uplabour.gov.in/StaticPages/VerifyRegistrationNo.aspx> द्वारा किया जा सकता है |

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम,1961

- **मोटर कर्मकार अधिनियम,1961 में पंजीयन कराने की क्या प्रक्रिया है?**
अधिनियम में पंजीयन/ लिसेंसिंग/ नवीनीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से पूर्ण होती है। सम्पूर्ण प्रक्रिया <http://uplabour.gov.in/StaticPages/RRPDList.aspx> लिंक पर उपलब्ध है ।
- **मोटर कर्मकार अधिनियम,1961 में पंजीकरण/ लिसेंसिंग की क्या शुल्क प्राविधानित है?**
अधिनियम में शुल्क की गणना कर्मचारियों की संख्या के आधार पर होती है। शुल्क चार्ट <http://uplabour.gov.in/StaticPages/TimelineOfRR.aspx> पर उपलब्ध है ।
- **शुल्क जमा करने के क्या प्रकार हैं?**
शुल्क का भुगतान निवेश मित्र पोर्टल पर इन्टरनेट बैंकिंग/ डेबिट/ क्रेडिट कार्ड इत्यादि माध्यम से किया जा सकता है ।
- **पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की समय सीमा क्या है?**
सम्बंधित अधिनियम में पंजीकरण/ नवीनीकरण की व्यवस्था पूर्णतया स्वचालित है तथा शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान के पश्चात् सिस्टम द्वारा ही 1-3 कार्य दिवसों में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
- **अकाउंट से शुल्क कट जाने के उपरान्त पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत न होने पर क्या करें?**
यदि शुल्क भुगतान के उपरान्त भुगतान की स्थिति पेंडिंग दिख रही हो तो निवेश मित्र पोर्टल पर "Reconcile Your Consolidated Payment By Double Verification Mode" आप्शन पर जा कर पेमेंट वेरीफाई करें । तत्पश्चात सिस्टम द्वारा ही 1-3 कार्य दिवसों में प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा ।
- **प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन कैसे करें?**
प्रमाण पत्र का सत्यापन <http://uplabour.gov.in/StaticPages/VerifyRegistrationNo.aspx> द्वारा किया जा सकता है ।

बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम,1961

- बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम,1966 में पंजीयन कराने की क्या प्रक्रिया है?

अधिनियम में पंजीयन/ लिसेंसिंग/ नवीनीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से पूर्ण होती है। सम्पूर्ण प्रक्रिया <http://uplabour.gov.in/StaticPages/RRPDList.aspx> लिंक पर उपलब्ध है ।

- बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम,1966 में पंजीकरण/ लिसेंसिंग की क्या शुल्क प्राविधानित है?

अधिनियम में शुल्क की गणना कर्मचारियों की संख्या के आधार पर होती है। शुल्क चार्ट <http://uplabour.gov.in/StaticPages/TimelineOfRR.aspx> पर उपलब्ध है ।

- शुल्क जमा करने के क्या प्रकार हैं?

शुल्क का भुगतान निवेश मित्र पोर्टल पर इन्टरनेट बैंकिंग/ डेबिट/ क्रेडिट कार्ड इत्यादि माध्यम से किया जा सकता है ।

- पंजीकरण प्रमाण पत्र/ लिसेंसिंग जारी होने की समय सीमा क्या है?

सम्बंधित अधिनियम में पंजीकरण/ नवीनीकरण की व्यवस्था पूर्णतया स्वचालित है तथा शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात् सिस्टम द्वारा ही 1-3 कार्य दिवसों में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

- अकाउंट से शुल्क कट जाने के उपरान्त पंजीकरण प्रमाण पत्र/ लिसेंसिंग निर्गत न होने पर क्या करें?

यदि शुल्क भुगतान के उपरान्त भुगतान की स्थिति पेंडिंग दिख रही हो तो निवेश मित्र पोर्टल पर "Reconcile Your Consolidated Payment By Double Verification Mode" आप्शन पर जा कर पेमेंट वेरीफाई करें । तत्पश्चात सिस्टम द्वारा ही 1-3 कार्य दिवसों में प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा ।

- प्रमाण पत्र/ लिसेंसिंग का वेरिफिकेशन कैसे करें?

प्रमाण पत्र का सत्यापन <http://uplabour.gov.in/StaticPages/VerifyRegistrationNo.aspx> द्वारा किया जा सकता है ।

अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम,1979

- अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम,1979 में पंजीयन कराने की क्या प्रक्रिया है?
अधिनियम में पंजीयन/ लिसेंसिंग/ नवीनीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से पूर्ण होती है। सम्पूर्ण प्रक्रिया <http://uplabour.gov.in/StaticPages/RRPDList.aspx> लिंक पर उपलब्ध है |
नोट: यदि ठेकेदार द्वारा 5 अथवा 5 से अधिक संविदा श्रमिक किसी प्रतिष्ठान में लगाये जाते हैं, संविदाकार तथा ठेकेदार दोनों को **संविदा श्रम अधिनियम,1970** में पंजीकरण/ लिसेंसिंग लेना आवश्यक है।
- अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम,1979 में पंजीकरण/ लिसेंसिंग की क्या शुल्क प्राविधानित है?
- अधिनियम में शुल्क की गणना कर्मचारियों की संख्या के आधार पर होती है। शुल्क चार्ट <http://uplabour.gov.in/StaticPages/TimelineOfRR.aspx> पर उपलब्ध है |
- शुल्क जमा करने के क्या प्रकार हैं?
शुल्क का भुगतान निवेश मित्र पोर्टल पर इन्टरनेट बैंकिंग/ डेबिट/ क्रेडिट कार्ड इत्यादि माध्यम से किया जा सकता है |
- पंजीकरण प्रमाण पत्र/ लिसेंसिंग जारी होने की समय सीमा क्या है?
सम्बंधित अधिनियम में पंजीकरण/ नवीनीकरण की व्यवस्था पूर्णतया स्वचालित है तथा शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात् सिस्टम द्वारा ही 1-3 कार्य दिवसों में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
- अकाउंट से शुल्क कट जाने के उपरान्त पंजीकरण प्रमाण पत्र/ लिसेंसिंग निर्गत न होने पर क्या करें?
यदि शुल्क भुगतान के उपरान्त भुगतान की स्थिति पेंडिंग दिख रही हो तो निवेश मित्र पोर्टल पर "Reconcile Your Consolidated Payment By Double Verification Mode" आप्शन पर जा कर पेमेंट वेरीफाई करें | तत्पश्चात सिस्टम द्वारा ही 1-3 कार्य दिवसों में प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा |
- प्रमाण पत्र/ लिसेंसिंग का वेरिफिकेशन कैसे करें?
प्रमाण पत्र का सत्यापन <http://uplabour.gov.in/StaticPages/VerifyRegistrationNo.aspx> द्वारा किया जा सकता है |

कारखाना अधिनियम, 1948

- **कारखाना अधिनियम, 1948 में पंजीयन कराने की क्या प्रक्रिया है?**
अधिनियम में पंजीयन/ लिसेंसिंग/ नवीनीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से पूर्ण होती है। सम्पूर्ण प्रक्रिया <http://uplabour.gov.in/StaticPages/RRPDList.aspx> लिंक पर उपलब्ध है ।
- **कारखाना अधिनियम, 1948 में पंजीकरण/ लिसेंसिंग की क्या शुल्क प्राविधानित है?**
अधिनियम में शुल्क की गणना कर्मचारियों की संख्या तथा कारखान में उपयोग हो रही पावर (इलेक्ट्रिसिटी/ डी.जी. सेट/ टरबाईन) के आधार पर होती है। शुल्क चार्ट <http://uplabour.gov.in/StaticPages/TimelineOfRR.aspx> पर उपलब्ध है ।
- **शुल्क जमा करने के क्या प्रकार हैं?**
शुल्क का भुगतान निवेश मित्र पोर्टल पर इन्टरनेट बैंकिंग/ डेबिट/ क्रेडिट कार्ड इत्यादि माध्यम से किया जा सकता है ।
- **पंजीकरण प्रमाण पत्र/ लिसेंसिंग जारी होने की समय सीमा क्या है?**
सम्बंधित अधिनियम में सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान के पश्चात् आवेदन पत्र सम्बंधित अधिकारी द्वारा 30 कार्यदिवसों में निस्तारित किया जाता है ।
- **अकाउंट से शुल्क कट जाने के उपरान्त पंजीकरण प्रमाण पत्र/ लिसेंसिंग निर्गत न होने पर क्या करें?**
यदि शुल्क भुगतान के उपरान्त भुगतान की स्थिति पेंडिंग दिख रही हो तो निवेश मित्र पोर्टल पर "Reconcile Your Consolidated Payment By Double Verification Mode" आप्शन पर जा कर पेमेंट वेरीफाई करें ।
- **प्रमाण पत्र/ लिसेंसिंग का वेरिफिकेशन कैसे करें?**
प्रमाण पत्र का सत्यापन <http://uplabour.gov.in/StaticPages/VerifyRegistrationNo.aspx> द्वारा किया जा सकता है ।

भारतीय ब्वायलर अधिनियम,1923

- **भारतीय ब्वायलर अधिनियम,1923 में पंजीयन कराने की क्या प्रक्रिया है?**
अधिनियम में पंजीयन/ लिसेंसिंग/ नवीनीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से पूर्ण होती है। सम्पूर्ण प्रक्रिया <http://uplabour.gov.in/StaticPages/RRPDList.aspx> लिंक पर उपलब्ध है ।
- **भारतीय ब्वायलर अधिनियम,1923 में पंजीकरण/ लिसेंसिंग की क्या शुल्क प्राविधानित है?**
शुल्क चार्ट <http://uplabour.gov.in/StaticPages/TimelineOfRR.aspx> पर उपलब्ध है ।
- **शुल्क जमा करने के क्या प्रकार हैं?**
शुल्क का भुगतान निवेश मित्र पोर्टल पर इन्टरनेट बैंकिंग/ डेबिट/ क्रेडिट कार्ड इत्यादि माध्यम से किया जा सकता है ।
- **पंजीकरण प्रमाण पत्र/ लिसेंसिंग जारी होने की समय सीमा क्या है?**
- **सम्बंधित अधिनियम में सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान के पश्चात् आवेदन पत्र सम्बंधित अधिकारी द्वारा 30 कार्यदिवसों में निस्तारित किया जाता है ।**
- **अकाउंट से शुल्क कट जाने के उपरान्त पंजीकरण प्रमाण पत्र/ लिसेंसिंग निर्गत न होने पर क्या करें?**
यदि शुल्क भुगतान के उपरान्त भुगतान की स्थिति पेंडिंग दिख रही हो तो निवेश मित्र पोर्टल पर "Reconcile Your Consolidated Payment By Double Verification Mode" आप्शन पर जा कर पेमेंट वेरीफाई करें ।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण अधिनियम,1996

- उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण अधिनियम,1996 में पंजीयन कराने की क्या प्रक्रिया है? अधिनियम में पंजीयन/ लिसेंसिंग/ नवीनीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से पूर्ण होती है। सम्पूर्ण प्रक्रिया <http://uplabour.gov.in/StaticPages/RRPDList.aspx> लिंक पर उपलब्ध है ।
- उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण अधिनियम,1996 में पंजीकरण/ लिसेंसिंग की क्या शुल्क प्राविधानित है? शुल्क चार्ट <http://uplabour.gov.in/StaticPages/TimelineOfRR.aspx> पर उपलब्ध है ।
- शुल्क जमा करने के क्या प्रकार हैं? शुल्क का भुगतान निवेश मित्र पोर्टल पर इन्टरनेट बैंकिंग/ डेबिट/ क्रेडिट कार्ड इत्यादि माध्यम से किया जा सकता है ।
- पंजीकरण प्रमाण पत्र/ लिसेंसिंग जारी होने की समय सीमा क्या है? सम्बंधित अधिनियम में पंजीकरण/ नवीनीकरण की व्यवस्था पूर्णतया स्वचालित है तथा शुल्क के सफलता पूर्वक भुगतान के पश्चात् सिस्टम द्वारा ही 1-3 कार्य दिवसों में प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
- अकाउंट से शुल्क कट जाने के उपरान्त पंजीकरण प्रमाण पत्र/ लिसेंसिंग निर्गत न होने पर क्या करें? यदि शुल्क भुगतान के उपरान्त भुगतान की स्थिति पेंडिंग दिख रही हो तो निवेश मित्र पोर्टल पर "Reconcile Your Consolidated Payment By Double Verification Mode" आप्शन पर जा कर पेमेंट वेरीफाई करें । तत्पश्चात सिस्टम द्वारा ही 1-3 कार्य दिवसों में प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा ।